न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू(राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या–06 / 2022

जगदीश सिंह पुत्र स्वर्गीय शैतान सिंह आयु 60 वर्ष, जाति राजपूत निवासी बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

–निगरानीकार

–बनाम–

1. राजूसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह,जाति राजपूत निवासी बुहाना, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू राज.।
3. ग्राम विकास अधिकारी, सचिव, ग्राम पंचायत बुहाना,पंचायत समिति बुहाना जिला झुंझुनू।
4. उप पंजीयक बुहाना, तहसील बुहाना,जिला झुंझुनू।

– गैर निगरानीकार

निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायती राज अधि0 1994 बखिलाफ
विरूद्ध आदेश दिनांक 07.12.2021सरपंच ग्राम पंचायत बुहाना,
पंचायत समिति बुहाना, जिला झुंझुनू

उपस्थितिः–

1. श्री इन्द्रजीत शर्मा, एडवोकेट ––––––––निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, एडवोकेट––––गैर निगरानीकार नं0 1 की ओर से।
3. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट –––––गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.01.2023

उक्त निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 07.12.2021 ग्राम पंचायत बुहाना बाबत निरस्त किये जाने पट्टा गैर निगरानीकार राजूसिंह के [illegible] की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि– निगरा[illegible] ग्राम बुहाना का रहने वाला है। निगरानीकार के स्वामित्व एवं आ[illegible] जिसमें नींव भर रखी है दुकान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Goar
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: Self Attested

अ. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

जगह ग्राम बुहाना में स्थित है जिसके पूर्व में खाती लाम्बी की दुकान, पश्चिम में–आम रास्ता व हरिसिंह के मकान, उत्तर में भिर्र सिंह, दक्षिण में रामनिवास का मकान जो पूर्व से पश्चिम उत्तरी सीरा 20 फुट, पूर्व से पश्चिम दक्षिण सीरा 20 फिट, उत्तर से दक्षिण पूर्वी सीरा 20 फिट, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी सीरा 20 फिट कुल 400 वर्गफिट है। प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के उक्त भूखण्ड से सटकर स्थित भूखण्ड के बाबत गैर निगरानीकार राजू सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी बुहाना ने दिनांक 22.10.2020 को गैर निगरानीकार नंबर 2 सरपंच ग्राम पंचायत बुहाना के यहां आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह का पट्टा चाहने हेतु एक प्रार्थना पत्र बिना निगरानीकार की जानकारी के प्रस्तुत किया जिसमें उसने स्वयं का आबादी भूमि में पुराना घर होना, जिसका कुल क्षेत्रफल 191.52 वर्गगज होना दर्ज किया तथा उक्त आवेदन पत्र में जो चतुर्थ सीमा दर्ज की गई उसमें पूर्व में निगरानीकार जगदीश सिंह पुत्र गुमान सिंह दर्ज किया गया, पश्चिम में आम रस्ता, उत्तर में पचेरी सड़क व शमसुदीन, निगरानीकार जगदीश सिंह, महेश कुमावत दर्ज किया और दक्षिण में जोखी पंच के पुत्रान होना दर्ज किया। उक्त आवेदन पत्र में भूमि की किस्म गैर मु0 आबादी दर्ज की गई तथा उक्त आवेदन पत्र पर गैर निगरानीकार राजूसिंह ने अपने हस्ताक्षर किये। उक्त आवेदन पत्र के साथ गैर निगरानीकार राजू सिंह ने नक्शा भी पेश किया। उक्त नक्शे के अवलोकन से व आवेदन पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैर निगरानिकार राजू सिंह ने 191.52 वर्गगज/160.12 वर्गमीटर गैर मु0 अबादी दर्ज करते हुये पट्टे का आवेदन पत्र गैर निगरानीकार संख्या 2, 3 व 4 के समक्ष पेश किया था तथा पट्टे के आवेदन पत्र व नक्शे में निगरानीकार के उक्त भूखण्ड को दर्शाया था। गैर निगरानीकार राजू सिंह के उक्त आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत बुहाना, द्वारा दिनांक 5.2.2021 को सार्वजनिक आपति कमांक 305/220–21 का प्रकाशन भी दैनिक समाचार पत्र में कराया गया जिसमें भी भूखण्ड का क्षेत्रफल 191.52 वर्गगज दर्ज किया गया। गैर निगरानीकार ने आपस में मिलकर व गलत व अवैधानिक प्रकिया का अवलंबन करते हुये प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त 400 वर्गफिट भूमि का हड़पने के आशय से अवैधानिक प्रकिया का अवलम्बन किया। प्रस्ताव संख्या 5 [illegible] दिनांक 22.12.2020 को ग्राम पंचायत बैठक मे प्रार्थी राजू सिंह ने बाबत भूखण्ड नियमन/पट्टा आवेदन पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023-07-14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

प्र. जिला कलेक्टर झुन्झुनू

पेश किया। इसके बाद दिनांक 5.2.2021 को जो आदेश पारित किया गया उसमें राज0 पंचायती राजअधि0 1996 के नियम 148 के तहत 30 दिवस का आपति नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया जिसके तहत उपर वर्णित अखबार में प्रकाशन कराया गया। दिनांक 07.12.2021 को पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पंचायतीराज नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया।

अपीलांट का कथन है कि गैर निगरानीकार की ओर से दिनांक 22.10.2020 को जो पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत बुहाना में किया गया तथा जो नक्शा उक्त आवेदन पत्र के साथ पेश किया गया उसमें भूखण्ड का नाप 191.52 वर्गगज दर्ज किया गया तथा उत्तर में निगरानीकार के उक्त भूखण्ड दुकान को दर्ज किया गया। उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के बाद जो आपति कमांक 352/220–21 का प्रकाशन आदेश दिनांक 5.2.2021 के तहत दैनिक समाचार पत्र में किया गया उसमें भी आवेदित भूखण्ड का नाप 191.52 वर्गगज दर्ज किया गया, किन्तु इसके बाद जो पट्टा कमांक 1 दिनांक 07.12.2021 को गैर निगरानीकार संख्या–1 के हक में जारी किया गया उसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल गलत व अवैधानिक तौर से 209.19 वर्गगज/174.90 वर्गमीटर दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा 191.52 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी करने का आवेदन किया गया और उसे 209.19 वर्गगज का पट्टा गलत व अवैधानिक तौर से गैर निगरानीकार संख्या 2 लगायत 4 द्वारा जारी किया गया। उक्त भूखण्ड का जो पट्टा दिनांक 7.12.2021 को नियम 157 (1) राजस्थान पंचायती राज. नियम के तहत जारी किया गया है, जो एक अवैध पट्टा है, जो खिलाफ पत्रावली व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर बनाया गया है, जो खिलाफ पत्रावली एवं कानून होने से पट्टा निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या–1 द्वारा ग्राम पंचायत बुहाना में प्रस्तुत उक्त पट्टा पत्रावली में भी बाद में गलत व अवैधानिक तौर से दस्तावेजों की कूट रचना की गई। आवेदन पत्र के साथ जो नक्शा पेश किया गया वह 191.52 वर्गगज का था तथा जिसमें तारीख 25.12.2020 दर्ज है तथा बाद में उक्त गैर निगरानीकार द्वारा गलत तौर से उक्त पट्टा पत्रावली में 209.19 वर्गगज का नक्शा दिया गया, जिसमें तारीख [illegible]2021 दर्ज है। गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 द्वारा जो सार्वजनिक आपत्ति प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 5.2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

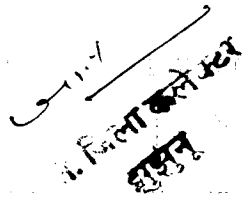

2021 को कराया गया उसमें भी आवेदित भूखण्ड का नाप 191.52 वर्गगज दर्ज किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त पट्टा पत्रावली में दस्तावेजों की कूटरचना की गई। आवेदित भूमि से अधिक भूमि निगरानीकार की उक्त भूमि को सम्मिलित करते हुये उक्त पट्टा गैर निगरानीकार द्वारा जारी किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। धारा 157 पंचायतीराज नियम के तहत पुराने गृहों का ही विनियमितिकरण किया जाता है। विवादित भूखण्ड एक खाली व सफेद भूमि है जहां कुछ भी निर्माण नहीं है और आज दिनांक तक कोई निर्माण नहीं हो तो नियम 157 पंचायती राज अधि0 के तहत पट्टा नहीं बनाया जा सकता। गैर निगरानीकार ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रिन्टेड फार्म को ही भरकर जमा करवाया गया है जिसमें आबादी भूमि का खसरा नंबर क्या है, नहीं लिखा गया है। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने झूठा ही वर्णन कर दिया है कि मेरा स्वयं का रिहायशी पक्का मकान बना हुआ है जिसमें मेरा परिवार पीढी गत 50 वर्षों से रह रहा है। प्रार्थना पत्र में निगरानीकार द्वारा यह नहीं लिखा गया कि उसका परिवार कितने वर्षों से काबिज है। अनापति प्रमाण पत्र पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पटवारी की रिपोर्ट करवाई गई है। निरीक्षण समिति ने मौका देखकर निरीक्षण करना बताया है, लेकिन अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि की चतुर्सीमा अंकित नहीं की है, खाली पड़ी है तथा सरपंच के आदेश में निर्णय पत्र में भी प्रफोर्मा निर्णय किया हुआ है जिसमें कब्जे के तथ्य खाली रखे हुये हैं। कितने वर्षों का कब्जा है, कुछ भी अंकित नहीं है। पक्के मकान बने होने की रिपोर्ट कहीं भी नहीं है। निगरानीकार ने शपथ–पत्र में समस्त झूठे व अवैध तथ्य दर्ज किये हैं। पत्रावली के अवलोकन से आदेशिका के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 5.2.2021 के अनुसार जांच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होना दर्ज किया गया है, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है, झूठे तथ्य दर्ज किये गये हैं। गैरनिगरानीकार सं01 को अवैध प्रक्रिया के तहत उक्त पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अंत में निगरानी पेश कर निवेदन किया कि गैर निगरानीकार का पट्टा संख्या 056 आदेश दिनांक 7.12.2021 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि गैर निगरानीकार की ओर से दिनांक 22.10.2020 को जो पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत बुहाना में किया गया तथा जो नक्शा उक्त आवेदन पत्र के साथ पेश किया गया उसमें भूखण्ड का नाप 191.52 वर्गगज दर्ज किया गया तथा उत्तर में निगरानीकार के उक्त भूखण्ड दुकान को दर्ज किया गया। उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के बाद जो आपति क्रमांक 352/220–21 का प्रकाशन आदेश दिनांक 5.2.2021 के तहत दैनिक समाचार पत्र में किया गया उसमें भी आवेदित सील का नाप 191.52 वर्गगज दर्ज किया गया, किन्तु इसके बाद जो पट्टा क्रमांक 1 दिनांक 07.12.2021 को गैर निगरानीकार संख्या–1 के हक में जारी किया गया उसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल गलत व अवैधानिक तौर से 209.19 वर्गगज/174.90 वर्गमीटर दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा 191.52 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी करने का आवेदन किया गया और उसे 209.19 वर्गगज का पट्टा गलत व अवैधानिक तौर से गैर निगरानीकार संख्या 2 लगायत 4 द्वारा जारी किया गया। उक्त भूखण्ड का जो पट्टा दिनांक 7.12.2021 को नियम 157 (1) राजस्थान पंचायती राज. नियम के तहत जारी किया गया है, जो एक अवैध पट्टा है, जो खिलाफ पत्रावली व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर बनाया गया है, जो खिलाफ पत्रावली एवं कानून होने से पट्टा निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या–1 द्वारा ग्राम पंचायत बुहाना में प्रस्तुत उक्त पट्टा पत्रावली में भी बाद में गलत व अवैधानिक तौर से दस्तावेजों की कूट रचना की गई। आवेदन पत्र के साथ जो नक्शा पेश किया गया वह 191.52 वर्गगज का था तथा जिसमें तारीख 25.12.2020 दर्ज है तथा बाद में उक्त गैर निगरानीक[illegible] से उक्त पट्टा पत्रावली में 209.19 वर्गगज का नक्शा दिया [illegible] 2021 दर्ज है। गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 द्वारा जो सार्वजनि[illegible] समाचार पत्र में दिनांक 5.2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

2021 को कराया गया उसमें भी आवेदित स्थल का नाप 191.52 वर्गगज दर्ज किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त पट्टा पत्रावली में दस्तावेजों की कूटरचना की गई। आवेदित भूमि से अधिक भूमि निगरानीकार की उक्त भूमि को सम्मिलित करते हुये उक्त पट्टा गैर निगरानीकार द्वारा जारी किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। धारा 157 पंचायतीराज नियम के तहत पुराने गृहों का ही विनियमितिकरण किया जाता है। विवादित भूखण्ड एक खाली व सफेद भूमि है जहां कुछ भी निर्माण नहीं है और आज दिनांक तक कोई निर्माण नहीं हो तो नियम 157 पंचायती राज अधि0 के तहत पट्टा नहीं बनाया जा सकता। गैर निगरानीकार ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रिन्टेड फार्म को ही भरकर जमा करवाया गया है जिसमें आबादी भूमि का खसरा नंबर क्या है, नहीं लिखा गया है। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने झूठा ही वर्णन कर दिया है कि मेरा स्वयं का रिहायशी पक्का मकान बना हुआ है जिसमें मेरा परिवार पीढी गत 50 वर्षों से रह रहा है। प्रार्थना पत्र में निगरानीकार द्वारा यह नहीं लिखा गया कि उसका परिवार कितने वर्षों से काबिज है। अनापति प्रमाण पत्र पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पटवारी की रिपोर्ट करवाई गई है। निरीक्षण समिति ने मौका देखकर निरीक्षण करना बताया है,लेकिन अपनी रिपोर्ट में विवादित स्थल की चतुर्सीमा अंकित नहीं की है, खाली पड़ी है तथा सरपंच के आदेश में निर्णय पत्र में भी प्रफोर्मा निर्णय किया हुआ है जिसमें कब्जे के तथ्य खाली रखे हुये हैं। कितने वर्षों का कब्जा है,कुछ भी अंकित नहीं है। पक्के मकान बने होने की रिपोर्ट कहीं भी नहीं है। निगरानीकार ने शपथ–पत्र में समस्त झूठे व अवैध तथ्य दर्ज किये हैं। पत्रावली के अवलोकन से आदेशिका के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 5.2.2021 के अनुसार जांच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होना दर्ज किया गया है, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है, झूठे तथ्य दर्ज किये गये हैं। गैर निगरानीकार सं0 1 को अवैध प्रकिया के तहत उक्त पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः गैर निगरानीकार सं01 को जारी पट्टा संख्या 056 आदेश दिनांक 07.12.2021 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर 1 की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा राज पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

के अन्तर्गत गैर निगरानीकार के आबादी भूमि में पुराने कब्जे के आधार पर विधिक प्रकिया अपनायी जाकर पट्टा संख्या 56 दिनांक 07.12.2021 जारी किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा राज पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 के अन्तर्गत गैर निगरानीकार के आबादी भूमि में पुराने कब्जे के आधार पर पूर्ण विधिक प्रकिया अपनायी जाकर गैर निगरानीकार सं0 1 को पट्टा संख्या 56 दिनांक 07.12.2021 जारी किया गया है जो विधिसम्मत है। उक्त पट्टा मौके पर कब्जे के आधार पर मौका निरीक्षण रिपोर्ट के उपरांत जारी किया गया है। विवादित भूखण्ड पर निगरानीकार का कोई कब्जा नहीं है, समस्त तथ्य मनगढंत दर्ज किये गये हैं। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा गैर निगरानीकार नंबर–1 को जारी उक्त विवादित भूखण्ड के पट्ट संख्या 56 की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से निगरानीकार के इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गैर निगरानीकार द्वारा पट्टा प्राप्त करने के लिए जो ग्राम पंचायत बुहाना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें भूमि का कुल क्षेत्रफल 191.52 वर्गगज अंकित किया गया है तथा गैर निगरानीकार राजूसिंह को पट्टा संख्या 56 दिनांक 07.12.2021 कुल 209.19 वर्ग गज/174.90 वर्ग मीटर का जारी किया गया है। पट्टा पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि समस्त छपे–छपाये प्रफोर्मा को एक ही व्यक्ति द्वारा भरकर बिना विधिक प्रकिया के पत्रावली की औपचारिकता की गई है। आवेदन पत्र में पहले से ही 50 वर्ष छपवा रखा है। पट्टा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भूखण्ड पर कितने वर्षों से काबिज है तथा भूखण्ड पर उसके कितने मकान बने हुये है अथवा कितना निर्माण है, ना तो प्रार्थना पत्र में अंकित है तथा ना ही पत्रावली [illegible] कोई निर्माण/मकान होने का अंकन किया गया है। ग्राम पंचा[illegible] पट्टा प्राप्त करने हेतु राजू सिंह के द्वारा दो आवेदन [illegible] पत्र एक ही व्यक्ति की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

हैंडराईटिंग से भरे हुये है, लेकिन दूसरे आवेदन में राजू सिंह के हस्ताक्षर उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र व प्रथम आवेदन पत्र से भी मिलान नहीं खाते। शपथ पत्र में समस्त तथ्य पहले से ही टंकित है, केवल नाम पता भरा गया है। गैर निगरानीकार संख्या–1 को पट्टा संख्या 56 जारी करने से पूर्व तीन पंचों की मौका निरीक्षण का प्रफोर्मा भरकर पत्रावली में लगाया गया है जिसमें भी गैर निगरानीकार का कितने वर्गगज भूमि पर कब से कब्जा है, अथवा भूखण्ड खाली है या मकान/निर्माण है, कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है। विवादित भूखण्ड के संबंध में जो नजरी नक्शा प्रफोर्मा का भरकर तैयार किया गया है, उस पर भी ना तौ गैर निगरानीकार सं0 1 के हस्ताक्षर है ना ही किसी वार्ड पंच, या ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, केवल सरपंच ने ही हस्ताक्षर कर पट्टा जारी करने की अनुशंषा की गई है। पट्टा पत्रावली में केवल प्रस्ताव सं0 3 की आदेशिका दिनांक 5.2.2021 लगी हुई है जिसमें गैर निगरानीकार का नाम पता भरा गया है उसमें विवादित भूखण्ड पर गैर निगरानीकार को 25–30 वर्ष पुराना कब्जा होने का उल्लेख करते हुये आपत्ति नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। आदेशिका दिनांक 7.12.2021 में भी अनापति के संबंध में पहले से ही हस्तलिखित फोटो प्रति पर राजू सिंह का नाम पता भरा गया है और सरपंच दशरथ सिंह के हस्ताक्षर हैं। पटटा पत्रावली में गैर निगरानीकार द्वारा आवेदन करने एवं उसके बाद पंचायत बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर मौक निरीक्षण हेतु पंचों की कमेटी के गठन आदि के संबंध में कोई आदेशिका नहीं है। आपत्ति नोटिस जो अखबार में प्रकाशित किया गया है, उसमें भी गैर निगरानीकार संख्या–1 को जारी पट्टे के संबंध में कुल क्षेत्रफल 191.52 वर्गगज ही अंकित किया गया है। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 को उक्त पट्टा संख्या 056 दिनांक 07.2.2021 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम एवं कानूनी प्रावधानों को दरकिनार कर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधन दिये गये हैं। हस्तगत प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से कहीं भी यह तथ्य साबित नहीं है कि विवादित भूखण्ड पर गैर निगरानीकार नंबर 1 का मकान/निर्माण हो और जिससे उसका पुराना कब्जा साबित हो, गैर निगरानीकार के आवेदन को भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

माना जावे तो उसके द्वारा 191.52 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा चाहा गया है जबकि ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा गैर निगरानीकार सं0 1 को 209.19 वर्गगज का पट्टा संख्या 56 दिनांक 07.12.2021 जारी किया गया है जिसका पत्रावली पर कोई आधार अंकित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का कथन है कि उक्त भूखण्ड खाली है उस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बुहाना की उक्त पट्टा पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी की जाकर छपे–छपाये प्रफोर्मा को भरकर गैर निगरानीकार को आवेदित प्रार्थना पत्र से अधिक भूमि का पट्टा दिया गया है जो कतई विधिक प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा संकल्प संख्या–3 दिनांक 7.12.2021 की अनुपालना में गैर निगरानीकार संख्या–1 राजू सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना को जारी पट्टा संख्या–056 दिनांक 07.12.2021 निरस्त किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में पट्टा पत्रावली का अवलोकन कर उपरोक्त विवेचन के आधार पर संबंधित सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बुहाना के विरूद्ध राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करें। निर्णय की सत्यप्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, झुंझुनू एवं ग्राम पंचायत बुहाना को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू